महेश राठौर विरूद्ध राजेश राठौर आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक -- निग0 204--दो/14 जिला – सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-9-14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निग0 नायब तहसीलदार सीहोर द्वारा प्र0क0 15/अ–70/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11–10–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य अंतरिम आदेश द्वारा नायब तहसीलदार ने आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250(3) के तहत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त किया गया है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । यह प्रकरण आवेदक की भूमि पर अनावेदक का आधिपत्य हटाने के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतरिम रूप से वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाए जाने का अनुरोध किया गया जिस पर उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत उत्तर और तर्कों पर विचार करके अधीनस्थ न्यायालय ने यह पाया है कि संहिता की धारा 250(3) के अनुक्रम में अनुतोश हेतु जो आवेदन पेश किया गया है उसमें 6 माह के भीतर आवेदक को हटाने का प्रमाण नहीं है इसलिए उन्होंने आवेदन निरस्त करते हुए मूल आवेदन जो कि संहिता की धारा 250 के अंतर्गत है साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया है । प्रकरण की वैधानिक स्थिति को देखते हुए विचारण न्यायालय का आदेश उनके क्षेत्राधिकार में होकर पुष्टि योग्य है, आदेश में ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिसके कारण इसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामत. यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । (एम.के सिंह) सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर	

राठौर आदि

10 रु. कोर्ट फी Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. कोर्ट फी Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

प्रकरण क्र0....../

[illegible]

महेश राठौर आ.स्व.श्री गौरीशंकर राठौर
कृषक निवासी–ग्राम शेरपुर, तह.व जिला–सीहोर.........निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. राजेश राठौर आ.स्व.श्री गौरीशंकर राठौर
निवासी–गंज सीहोर, कृषक ग्राम शेरपुर, तहसील व जिला–सीहोर
2. दीनदयाल आ.अज्ञात
कृषक निवासी–ग्राम शेरपुर, तह.व जिला–सीहोर........प्रतिनिगरानीकर्ता